न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 587 सन 2020

अनवान :–

1. जीतूराम पुत्र धूडाराम जाति राईका निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रेवन्ती पुत्री पेमाराम जाति राईका निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. रूकमा पुत्री पेमाराम जाति राईका निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. गौरा पुत्री पेमाराम जाति राईका निवासी धानसिया तहसील नोहर।
4. कलीदेवी पुत्री पेमाराम जाति राईका निवासी धानसिया तहसील नोहर।
5. गुडडी पुत्री पेमाराम जाति राईका निवासी धानसिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 25/01/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 586/583 की कुल 17.5835हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रावताराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा रावताराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई जो वादी का पिता है।

वादी के पिता पैमारम पुत्र रावताराम एवं उसकी पत्नी अमानी पत्नी पैमाराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान पैमाराम के पुत्र /पुत्रीया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है।

रावताराम के दो पुत्र थे जिसमें से एक पैमाराम जिसका देहान्त हो चुका है दुसरा धुडाराम जो अविवाहित था धुडाराम ने अपने भाई पैमाराम के पुत्र जीताराम को खोलायत पुत्र की हैसियत से अपने पास रख लिया जो धुडाराम के साथ रहता था और एक पुत्र की हैसियत से धुडाराम के साथ ही निवास करता था एवं सभी दस्तावेजात में भी वादी के पिता का नाम धुडाराम ही अंकित है वास्तविक/प्राकृतिक पिता पैमाराम ही है।

पैमाराम पुत्र रावताराम का देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो पैमाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 वादी की बहने है एवं पैमाराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पिता पैमाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है पैमाराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो पैमाराम की भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है एवं वादी वर्तमान में धुडाराम के साथ रहता है इसलिये उसके पिता के स्थान पर धुडाराम का नाम अंकित किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 586/583 की कुल 17.5835हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रावताराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा रावताराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई जो वादी का पिता है।

वादी के पिता पैमारम पुत्र रावताराम एवं उसकी पत्नी अमानी पत्नी पैमाराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान पैमाराम के पुत्र /पुत्रीया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है।

रावताराम के दो पुत्र थे जिसमें से एक पैमाराम जिसका देहान्त हो चुका है दुसरा धुडाराम जो अविवाहित था धुडाराम ने अपने भाई पैमाराम के पुत्र जीताराम को खोलायत पुत्र की हैसियत से अपने पास रख लिया जो धुडाराम के साथ रहता था और एक पुत्र की हैसियत से धुडाराम के साथ ही निवास करता था एवं सभी दस्तावेजात में भी वादी के पिता का नाम धुडाराम ही अंकित है वास्तविक/प्राकृतिक पिता पैमाराम ही है।

पैमाराम पुत्र रावताराम का देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो पैमाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 वादी की बहने है एवं पैमाराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 586/583 की कुल 17.5835हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि पैमराम वल्द रावताराम के नाम से दर्ज है वादी के पिता पैमारम पुत्र रावताराम एवं उसकी पत्नी अमानी पत्नी पैमाराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान पैमाराम के पुत्र /पुत्रीया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है जिसके सम्बध में किसी भी पक्षकार को ऐतराज नही है अर्थात वाद भूमि विरास्तन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 पाने के अधिकारी है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है ।

वादी के पिता का देहान्त हो चुका है वादी अपने चाचा धुडाराम के साथ निवासी करता है धुडाराम की सेवाचाकरी करता है इसलिये अपने पिता के स्थान पर धुडाराम दर्ज करवाना चाहता है वादी के कथनो कें सम्बध में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का ऐतराज नही है बल्की समर्थन किया गया है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 586/583 की कुल 17.5835हैक भूमि जो भूमि मृतक पैमाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को 62617/175835 हिस्से खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. जीतूराम पुत्र धूडाराम जाति राईका निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रेवन्ती पुत्री पेमाराम जाति राईका निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. रूकमा पुत्री पेमाराम जाति राईका निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. गौरा पुत्री पेमाराम जाति राईका निवासी धानसिया तहसील नोहर।
4. कलीदेवी पुत्री पेमाराम जाति राईका निवासी धानसिया तहसील नोहर।
5. गुडडी पुत्री पेमाराम जाति राईका निवासी धानसिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 587 सन 2020 निर्णय दिनांक– 25/01/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 586/583 की कुल 17.5835हैक भूमि जो भूमि मृतक पैमाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को 62617/175835 हिस्से खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)